समुद्री शैवाल के आयात हेतु नए दिशा-निर्देश

स्रोत: TH

हाल ही में केंद्र ने उच्च गुणवत्ता वाले बीज तत्त्व या जरमप्लाज़्म **के आयात का** समर्थन करने हेतु **'भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात के लिये दिशानिर्देश' जारी किये**, जिसका उद्देश्य तटीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है।

दिशानिर्देश:

- **समुद्री शैवाल आयात के लिये रूपरेखा और प्रक्रियाएँ:**
  - **भारत में जीवित समुद्री शैवाल के आयात हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ** एक नियामक ढाँचा स्थापित किया गया है, जिसमें कीटों, बीमारियों और जैव सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिये संगरोध, जोखिम मूल्यांकन तथा आयात के बाद की निगरानी शामिल है।
  - भारत के समुद्री शैवाल उद्योग को **सीमित बीज उपलब्धता तथा गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से व्यापक रूप से खेती की जाने वाली** कप्पाफाइकस प्रजाति (*Kappaphycus species*) के संदर्भ में।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):**
  - **PMMSY** का **लक्ष्य वर्ष 2025 तक भारत के समुद्री शैवाल उत्पादन को 1.12 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाना** है, जिसमें समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिये **तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क** जैसी प्रमुख पहल शामिल हैं।
- **धारणीय तथा ज़िम्मेदारीपूर्ण संवर्द्धन हेतु प्रोत्साहन:**
  - ये दिशानिर्देश **पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय एवं आर्थिक दृष्टि से लाभकारी स**मुद्री शैवाल की खेती को प्रोत्साहित करते हैं।
  - **नई प्रजातियों के आगमन से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलता है तथा लाल,** भूरे और हरे शैवाल सहित विविध समुद्री शैवाल प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।

और पढ़ें: समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-guidelines-for-import-of-seaweeds